

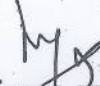
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- प.3(ई)/अलेसे-II/निप लिंक नं. 461/1047-51 दिनांक :- 01.09.16

शुद्धिपत्र

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक प.3(ई)/अलेसे-II/निप लिंक नं. 461/503 दिनांक 14.06.2016 में अंकित “राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96” के स्थान पर “राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86(1)” पढा जावे।


(पंकज यादवी)
निदेशक

क्रमांक:- प.3(ई)/अलेसे-II/निप लिंक नं. 461/1047-51 दिनांक :- 01.09.16

प्रतिलिपि:निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, झुंझुनूं
2. कोषाधिकारी झुंझुनूं
3. श्री/श्रीमती/शुश्री प्रहलाद राय माली(461) सेवा निवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, झुंझुनूं
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली



(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)